

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्याय आपुके द्वारे अभियान वर्ष 2016**  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

मोडाराम पुत्र भगाराम कौम जणवा चौधरी

बनाम

पुखराज पुत्र भगाराम कौम जणवा चौधरी

दावा बाबत - बंटवारा राजकाशत 0 अधि 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 77 / 16

निर्णय

दिनांक :- 17 / 06 / 2016

वादी मोडाराम पुत्र भगाराम कौम जणवा चौधरी व प्रतिवादी पुखराज पुत्र भगाराम कौम जणवा चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17 / 06 / 16 को पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

मोडाराम पुत्र भगाराम कौम जणवा चौधरी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम घाणेराव पटवार वृत्त घाणेराव तहसील देसूरी के ख.न 2371/1 रकबा 0.20 है. किस्म न.अ. लगान 6.80 व ख.न 2373 रकबा 0.20 है. किस्म न.अ. कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.40 कुल किस्म न.अ. कुल लगान 6.80 एवं पुखराज पुत्र भगाराम कौम जणवा चौधरी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम घाणेराव पटवार वृत्त घाणेराव तहसील देसूरी के ख.न 2371 रकबा 0.20 है. किस्म न.अ. लगान 6.80 व ख.न 2372 रकबा 0.20 है. किस्म न.अ. कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.40 कुल किस्म न.अ. कुल लगान 6.80 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 17 / 06 / 2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
प्रभारी अधिकारी रा. लो. अ. केम्प .....  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी देसूरी  
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

क्रमांक / शिविर / 2016 /  
प्रतिलिपि :-

दिनांक-17 / 06 / 2016

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
प्रभारी अधिकारी रा. लो. अ. केम्प .....  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहा. कलक्टर